

भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के समय तहसीलदार द्वारा आर्थिक सहायता पीडित व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इसका विवरण निम्नवत है:-

1- अहेतुक सहायता

(अ) मृतक परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रु० 50,000 प्रति मृतक
(ब) किसी अंग के बेकार होने या अंधे हो जाने पर अनुग्रह	रु० 25,000 प्रति व्यक्ति (यदि पैर की अपंगता 40 प्रतिशत से अधिक है, तथा चिकित्साधिकारी या चिकित्साधिकारी, के पैनल द्वारा प्रमाण पत्र

दिया जाता है, तो अहेतुक सहायता की दर बढ़ाई जा सकती है।

(स) गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति जिन्हें एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता हो।	रु० 5000/- प्रति व्यक्ति
(द) वृद्ध अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों की सहायता	रु० 20/- प्रति व्यक्ति तथा रु० 10/- प्रति बच्चे प्रतिदिन
(घ) जिन परिवारों के मकान बह गये हैं। उनहेक बर्तन तथा कपड़े के रूप में सहायता।	रु० 500/- कपड़े हेतु तथा रु० 500 बर्तन हेतु प्रतिपरिवार

2- अतिरिक्त पुष्टाहार

अनुसार

रु० 1.05 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
आई०सी०डी०एस०के०मानक के

3- लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता

33-1/3 प्रतिशत

लघु तथा सीमान्त कृषकों को
कृमशः 25 प्रतिशत और

(अ) डीसिल्टिंग आदि	नाबार्ड पैटर्न पर परन्तु यह सीमा अधिकतम रु० 5,000 प्रति है० है।
(ब) पर्वतीय क्षेत्र में डिबरीज (मलवा) हटाने तथा	
(स) डोसिल्टिंग/पूर्व स्थिति में लाने/मछली के फार्म के मरम्मत हेतु	
(द) जहां फसलों की क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी	
(1) कृषि, उद्यान तथा वार्षिक पौध की फसलें।	रैनफेड क्षेत्रों हेतु रु० 1000/- प्रति हे० सुरक्षित सिंचित क्षेत्रों में रु० 2500/- प्रति हेक्टेयर।

(2) बारहमासी फसलें
(3) सेरी कल्चर(रिषम कीट पालन)
1500/- प्रति हे०

रू० 4,000/- प्रति हे०
रू० 2000/- मूगा तथा

(एरिल, मलबेरी)

(च) नदी के धारा परिवर्तन
भूस्लखन एवं हिमानी से
पर्याप्त मात्रा में भूमि कटान
होने पर

रू० 10,000/- प्रति हे०

4- रोजगार सृजन

(प्लान स्कीम-जे०आर०वाई०आई०
जे०आर०आई०ए०एस० आदि में
उपलब्ध धन को ध्यान में रखते
हुए ।

जवाहर ग्राम सवृद्धि योजना के
मानकों के अनुसार

5- पशुपालन

लघु एवं सीमान्त कृषक/कृषक
मजदूरों को सहायता

लघु एवं सीमान्त कृषक हेतु
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार
योजना हेतु निर्धारित ।
नार्मस के अनुसार सहायता ।

- (अ) दुधारी पशु , भार खीचने वाले पशु
परिवहन से सम्बन्धित पशु,
जीविकोपार्जन वाले पशु हेतु सहायता
(ब) चारे तथा सान्द्र चारे की व्यवस्था
(स) खरीद, संग्रह तथा चारे को
एक स्थान से दूसरे स्थान ले
जाना ।

बड़े पशु रू० 12/-प्रतिदिन
छोटे पशु रू० 6/- प्रतिदिन
एन०सी०सी०एस० द्वारा आंकलन
करने पर सी०आर०एफ० हेतु
बनाई गई,राज्य स्तरीय कमेटी
द्वारा

आंकलन के आधार पर

6- मछुआरों की सहायता

- (अ) क्षतिग्रस्त जाल/नावों की
मरम्मत विनष्ट नावों/जाल
के स्थान पर दूसरे नाव/जाल
की व्यवस्था हेतु
-नावें
-सकरी नावें
-लटटे
- जालें

अन्य औजारों हेतु सहायता दी
जायेगी, परन्तु एस०जी०ए० वाई०
पैटन के अनुसार प्रति परिवार
निर्धारित सबसिडी के अनुसार
एस०जी०एस०वाई० द्वारा
अनुमोदित दरों के अनुसार नाव
की कीमत को निर्धारित किया
जायेगा ।

(ब) मछली बीज फार्म हेतु इनपुट सबसिडी

रू० 2000/-प्रति हे०

7-हस्तकरघा सेक्टर के शिल्पियों के क्षतिग्रस्त औजारों के मरम्मत/बदलने हेतु सब्सिडी के रूप में सहायता

(अ) परम्परागत शिल्प	
(1) क्षतिग्रस्त औजारों हेतु	रु0 1,000 /-प्रति व्यक्ति
(2) कच्चे माल हेतु	रु0 1,000 /-प्रति व्यक्ति
(ब) हस्तकरघा बुनकरों के लिए	
(1) हस्तकरघा से सम्बन्धित औजारों उपकरणों के मरम्मत/बदलने हेतु	रु0 1,000 /-प्रति लूम
(2) धागे व अन्य सामग्री के खरीद हेतु	रु0 1,000 /-प्रति लूम

8-क्षतिग्रस्त भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता।

(अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त	
(1) पक्का मकान	रु0 10,000 /- प्रति मकान
(2) कच्चा मकान	रु0 6,000 /- प्रति मकान
(ब) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
(1) पक्का मकान	रु0 2000 /- प्रति मकान
(2) कच्चा मकान	रु0 1200 /- प्रति मकान
(स) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त	रु0 800 /- प्रति मकान
9- पीने के पानी को आपातकालीन पूर्ति नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी ले जाने हेतु व्यवस्था सम्मिलित है।	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र/राज्य स्तरीय आपदा राहत निधि कमेटी द्वारा आंकलन पर।